Order Sheet [Contd] _______ all_ए

Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of presiding 30−08−2017		Case No 303,	/ 2017 91.5
गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड के अप०क० 122/17 धारा 304बी, 34 भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सिंहत प्रस्तुत। प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण भगवत व श्यामलाल की ओर से अधिवक्ता श्री जी.एस. निगम द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर में फरियादी की झूटी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। घटना के समय आवेदकगण घर पर नहीं थे। आवेदकगण ने कभी भी मृतिका को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया था। मृतिका कोधी व जिद्दी स्वभाव की थी और कई बार आवेदकगण को अनुपस्थिति में आग लगाई है। आवेदकगण न्यायिक अभिरक्षा में है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उन्हें उचित जमातन मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders
का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि उनके द्वारा मृतिका को कभी भी परेशान नहीं किया गया है और न ही ऐसी कोई बात है, बल्कि मृतिका कोधी व जिद्दी स्वभाव की थी, लडाई झगडा व दहेज वाली कोई बात नहीं थी। आवेदकगण निर्दोष है और इसी आधार पर जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की है। मृतिका का विवाह आवेदक/अभियुक्त भगवत के साथ दिनांक 22. 04.2016 को हुआ था तथा मृतिक की मृत्यु जलने के कारण दिनांक 06.06.		गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड के अप०क० 122/17 धारा 304बी, 34 भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण भगवत व श्यामलाल की ओर से अधिवक्ता श्री जी.एस. निगम द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर में फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। घटना के समय आवेदकगण घर पर नहीं थे। आवेदकगण ने कभी भी मृतिका को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया था। मृतिका कोधी व जिद्दी स्वभाव की थी और कई बार आवेदकगण की अनुपस्थित में आग लगाई है। आवेदकगणन्यायिक अभिरक्षा में है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उन्हें उचित जमातन मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि उनके द्वारा मृतिका को कभी भी परेशान नहीं किया गया है और न ही ऐसी कोई बात है, बल्कि मृतिका को छोधी व जिद्दी स्वभाव की थी, लडाई झगडा व दहेज वाली कोई बात नहीं थी। आवेदकगण निर्वेष है और इसी आधार पर जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की है। मृतिका का विवाह आवेदक/अभियुक्त भगवत के साथ दिनांक 22.	A TATE OF THE PARTY OF THE PART

2017 को विवाह के लगभग एक वर्ष पश्चात् ही हो गई है। आवेदकगण / अभियुक्तगण पर मृतिका को दहेज के लिए प्रताडित करने का गंभीर आरोप है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। अपराध की गंभीरता, उपलब्ध सामाग्री को देखते हुए आवेदकगण / अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदकगण / अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद

ALIMANTA PAROLA SUNTA PAROLA PAROLA SUNTA PAROLA PAROLA PAROLA PAROLA PAROLA PAROLA PAROLA PAROL